बिहार सरकार
विधि विभाग

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2021

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021

विषय सूची।

प्रस्तावना ।

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा–3(ii) का संशोधन।
3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा–4 के पहले परन्तुक का संशोधन एवं धारा–4 के दूसरे परन्तुक के बाद एक अन्य परन्तुक का जोड़ा जाना।
4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा–5 का संशोधन।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

प्रस्तावना।– चूँकि बिहार राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं हैं, और, चूँकि बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण "बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014" (बिहार अधिनियम 13, 2014) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने हेतु उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत–संविधान के अनुच्छेद–213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–(1) यह अध्यादेश "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021" कहा जा सकेगा।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा–3(ii) का संशोधन :–

   अधिनियम की धारा–3(ii) में **"राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के 5 अधिकारी जिनकी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा शेष हो:"** शब्दों के स्थान पर **"राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के 5 अधिकारी :"** शब्द रखे जायेंगे।

3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा–4 के पहले परन्तुक का संशोधन एवं धारा–4 के दूसरे परन्तुक के बाद एक अन्य परन्तुक का जोड़ा जाना :–

   (1) अधिनियम की इस धारा–4 के पहले परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   "परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में, अध्यक्ष या किसी सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा।"

(2) अधिनियम की धारा–4 के दूसरे परन्तुक के बाद तीसरा परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जायेगा :–

"परन्तु आयोग के अध्यक्ष का पद, रिक्त रहने की स्थिति में, अध्यक्ष पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, आयोग के वरीयतम सदस्य कार्यकारी व्यवस्था के तहत अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सदस्य की वरीयता की गणना आयोग के सदस्य के रूप में योगदान की तिथि के आधार पर की जायेगी। "

4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा–5 का संशोधन :– अधिनियम की धारा–5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा –

"5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र–सीमा :–

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्यरत रहने की अवधि तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इसमें से जो पहले हो, तक होगी।"

(ह0) फागू चौहान,
बिहार–राज्यपाल।

पटना।
दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021

बि0स0मु0 (9 विधि), 2021–22–डी0टी0पी0–750

भारत–संविधान के अनुच्छेद, 213 के खंड (1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

(ह0) फागू चौहान,
बिहार राज्यपाल।

पटना।
दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021

सत्य–प्रति

(पी0 सी0 चौधरी),
सचिव, विधि विभाग,
बिहार सरकार।